

आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा।

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद संख्या –293 / 2023

जमादार राय

बनाम

बिहार सरकार

आदेश

	<p>उपस्थिति, वादी के तरफ से :— विद्वान अधिवक्ता, सदन शरण एवं प्रदीप कुमार प्रतिवादी संख्या 01 के तरफ से :— विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम)</p>	
<u>आदेश की</u> <u>क्रम-संख्या</u> <u>और तारीख</u>	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	<u>आदेश पर की</u> <u>गई कार्रवाई के</u> <u>बारे में टिप्पणी</u> <u>तारीख के साथ</u>
<u>26.09.2024</u> <u>01.11.2024</u>	<p>प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद समाहर्ता, सारण, छपरा द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0-67 / 2020 में दिनांक—10.07.2023 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है।</p> <p>पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) उपस्थिति।</p> <p>पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस आशय का लिखित अनुरोध किया गया है कि प्रश्नगत मामले में विद्वान सक्षम/ विशेष न्यायालय, S.D.J.M., सारण के समक्ष मुकदमा चला है, जिनके द्वारा दिनांक 02.08.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता निर्दोष साबित हुए हैं। इसलिए विशेष न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के आधार पर कार्रवाई किए जाने हेतु अपने पुनरीक्षण वाद को वापस लेना चाहता हूँ।</p> <p>पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये लिखित अनुरोध दिनांक 26.09.2024 के आलोक में उन्हें अपना पुनरीक्षण आवेदन वापस लेने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>तदनुसार प्रस्तुत वाद को “Dismissed as withdrawn” किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>आयुक्त</p> <p>आयुक्त</p>	